दिनांक 12.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 18 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर जनपदीय पुलिस द्वारा मात्र 08 मिनट के अन्दर मौके पर पहुँच कर, बचायी गयी युवती की जान

दिनांक 11–07–2025 को जनपद गाज़ीपुर के थाना रामपुर मांझा निवासी लगभग 30 वर्षीय युवती द्वारा अधिक मात्रा में दवाइयों को खाते हुए तथा गले पर कटे के निशान में से खून रिसता हुआ दिखाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया । उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 11–07–2025 को रात्रि 10:35 PM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद गाज़ीपुर को प्रकरण से अवगत कराया गया ।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना रामपुर मांझा के उ0नि0 मय महिला आरक्षी मात्र 08 मिनट के अन्तराल में युवती के घर पहुंच गए एवं परिजनों से तत्काल युवती के सम्बन्ध में जानकारी की गई । उपनिरीक्षक मय महिला आरक्षी तत्काल परिजन को लेकर युवती के पास पहुंचे, जहां युवती बिस्तर पर बेचैनी की दशा में थी तथा उसके गले पर ब्लेड से कटे हुए निशानों से खून रिस रहा था । उप निरीक्षक मय महिला आरक्षी द्वारा परिजनों के सहयोग से युवती को अविलम्ब नजदीकी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहाँ पर उपचार के उपरान्त युवती की स्थिति सही होने पर उसे घर लाया गया । युवती के सामान्य होने पर उप निरीक्षक मय महिला आरक्षी द्वारा उससे जानकारी की गयी, तो उसके द्वारा बताया गया कि वह गृहणी है, कुछ समय पूर्व

उसकी डिलीवरी हुई थी । युवती के इलाज हेतु तत्समय पति की सहमति से ही गांव में स्थित ग्रामीण वित्तीय स्वयंसमूह से पचास हज़ार की धनराशी ली गई थी, जिसकी क़िस्त उसके पति द्वारा ही दी जाती थी, किन्तु अब उसके पति द्वारा न उससे फोन पर बात की जाती है ना ही क़िस्त दी जाती है । वित्तीय स्वयंसमूह द्वारा युवती से क़िस्त मांगी गई तो युवती द्वारा पति से संपर्क करने की काफी कोशिश की गई लेकिन पति ने बात भी नहीं की, तो वह इस बात से बहुत आहत हो गई । इन्ही कारणों से मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान होकर अवसाद में युवती द्वारा आत्महत्या करने के उद्देश्य से ऐसा कदम उठाया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा समय से पहुँच कर युवती को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिस पर युवती द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवती के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया ।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है । दिनांक 01–01–2023 से 10–07–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 1132 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है ।

<u>**जनपद इटावा/थाना ऊसराहार**</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **छिनैती के पीली धातु के आभूषण**
- **8100/–रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 11/12.07.2025 की रात्रि थाना ऊसराहार, एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अड्डा सकरावा रोड तिराहा से 02 अभियुक्तों

1—सुरजीत 2—धनीराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से छिनैती के पीली धातु के आभूषण, 8100/—रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना ऊसराहार क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा छिनैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ऊसराहार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण छिनैती की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुरजीत निवासी ग्राम गोपालपुर थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

2—धनीराम निवासी ग्राम कौआ थाना ऊसरहार जनपद इटावा।

बरामदगो

1—छिनैती के पीली धातु के आभूषण।

2—8100/—रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जहॉगीरगंज

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 08 लाख रूपये (कीमत) के 80 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा**
- **3010/— रूपय नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद**

दिनॉकः 12.07.2025 को थाना जहॉगीरगंज व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिकन्दरपुर रोड ग्राम तिलकटाण्डा के पास से 03

अभियुक्तों 1—रणविजय 2—रामप्रवेश 3—अशोक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 08 लाख रूपये (कीमत) के 80 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा, 3010/— रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना जहॉगीरगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रणविजय निवासी ग्राम गौरी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

2—रामप्रवेश निवासी ग्राम अरहरिया थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

3—अशोक निवासी ग्राम गौरी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—लगभग 08 लाख रूपये (कीमत) के 80 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा।

2—3010 रूपये नगद।

3—01 मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार आदि।

———————